भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3559

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निवेश नियम

3559. श्री तनुज पुनियाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर निधि को सीधे सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पर सूचीबद्ध गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) में निवेश किए जा सकने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निवेश नियमों में बड़े परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या इन परिवर्तित नियमों के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत मान्य सीएसआर व्यय माना जाएगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस नीतिगत हस्तक्षेप से सामाजिक क्षेत्र में संस्थागत पूंजी के प्रवाह में होने वाली बढ़ोत्तरी संबंधी कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): जी, हां। मंत्रालय ने दिनांक 27.05.2026 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अनुसूची VII के दायरे को बढ़ाते हुए नई मद संख्या (xiii) "सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर शून्य कूपन शून्य प्रमुख लिखत का अभिदान" के नाम से शामिल किया है। उक्त संशोधन के अनुसार, सीएसआर अधिदेशित कंपनी उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय के दस प्रतिशत से अधिक के लिए जेडसीजेडपी लिखत का अभिदान नहीं लेगी। इस संशोधन का उद्देश्य कंपनियों को अनुपालन में काफी सुगमता प्रदान करना है और गैर-लाभकारी संगठनों को पारदर्शी और विनियमित तरीके से जन कल्याण परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में भी मदद करेगा।

(घ): मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।
